भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1300
उत्तर देने की तारीख : गुरूवार, 11 दिसंबर, 2025
20 अग्रहायण, 1947 (शक)

एएसआई द्वारा सुधार और आधुनिकीरण

1300. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री सामिक भट्टाचार्य:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की उत्खनन शाखाओं में स्टाफिंग और तकनीकी कमियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है;
(ख) वर्ष 2025-26 के लिए 15 करोड़ रु. के बजट के अंतर्गत 22 स्थलों पर रिपोर्टों की समयबद्ध पूर्णता कैसे सुनिश्चित की जा रही है ;
(ग) शैक्षणिक और विदेशी पुरातात्विक सहयोग हेतु पारदर्शी, सिंगल-विंडो क्लियरेंस प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) विरासत स्थलों की डिजिटल मैपिंग करने के लिए एलआईडीएआर, जीआईएस और ड्रोन तकनीक का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और राष्ट्रीय डिजिटल मानचित्र के पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और
(ड.) अतिक्रमण के विरूद्ध प्रवर्तन के साथ प्राचीन धार्मिक स्मारकों के संरक्षण को किस प्रकार संतुलित किया जा रहा है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्खनन शाखाओं में कर्मचारियों की कमी की समस्या का समाधान, भर्ती नियमों के अनुसार, स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरने के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से की जाने वाली भर्ती और फीडर ग्रेड से योग्य अधिकारियों की पदोन्नति भी शामिल है। विगत एक वर्ष के दौरान, उत्खनन शाखाओं में तैनात कर्मचारियों की संख्या 86 से बढ़कर 102 हो गई है। इसके अलावा, मौजूदा उत्खनन परियोजनाओं की परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध मानव शक्ति की युक्तिसंगत रूप से तैनाती की जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से फील्ड स्टाफ का क्षमता-निर्माण भी किया जाता है।

(ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 2025 तक उत्खनन/अन्वेषण के लिए 24 अनुमति दी है। उत्खनन कार्य से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रत्येक उत्खनन कार्य का एक अभिन्न अंग है, जिसे नियमानुसार उत्खनन पूरा होने के बाद प्रस्तुत करना होता है।

(ग): अकादमिक और पुरातित्वक सहयोग अलग-अलग प्रकार के होते हैं और इनकी कार्यान्वन की अवधि की जांच संबंधित शाखाओं द्वारा विधिवत रूप की जाती है।

(घ): आधुनिक प्रौद्योगिकियों अर्थात् लिडार, जीआईएस, ड्रोन आदि का उपयोग मानचित्रण (मैपिंग) सहित प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के अध्ययन और प्रलेखन के लिए किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।

(ङ): संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं तत्संबंधी नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार हटाया जाता है। अतिक्रमण रोकने और उन्हें हटाने के लिए, मंडल के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविद् को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमणकारियों को बेदखली नोटिस/आदेश जारी करने के लिए संपदा अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और तत्संबंधी नियमावली, 1959 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी सक्षम हैं। अतिक्रमण रोकने और इसे हटाने के लिए समय-समय पर, संबंधित राज्य सरकार/पुलिस अधिकारियों से भी सहायता मांगी जाती है। इसके अलावा, नियमित पहरा और निगरानी कर्मचारियों के अलावा, निजी सुरक्षा कर्मियों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) कार्मिकों को भी देश भर के चुनिंदा स्मारकों/स्थलों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है।
